

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1659
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास सेवा योजना

1659. डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना शुरू करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई निधियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों की उपयोग के बारे में दी गई सूचना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने आईसीडीएस योजना के सुदृढीकरण और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क और ख): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं स्कीम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

- 0-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना;
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना;
- मृत्यु, सहरुणता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना;
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय हासिल करना; और
- बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माता की क्षमता को बढ़ाना।

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत, देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों, अर्थात् 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को छह सेवाओं अर्थात् (i) पूरक पोषाहार; (ii) प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा; (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा; (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) रेफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। तीन सेवाएं अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

सेवाएं सभी पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने बिना किसी सीमा के आंगनवाड़ी केंद्रों में अपना पंजीकरण कराया है और प्रदान की जाने वाली पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जनता में आवश्यक जागरूकता पैदा की जाती है।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित, जारी की गई निधि और उनके द्वारा सूचित उपयोग का विवरण अनुलग्नक I में और लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

(घ) : पोषण से संबंधित निम्नलिखित उप-स्कीमों को संरेखित किया गया है और "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" के तहत लाया गया है:

- i) आंगनवाड़ी सेवाएं (आईसीडीएस के स्थान पर)
- ii) किशोरी स्कीम (सबला के स्थान पर)
- iii) पोषण अभियान

सक्षम आंगनवाड़ी के तहत घटकों को मुख्य वर्टिकल्स: पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहयोग; शिक्षण और सीखने की सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष]; सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है। बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित 13.91 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। 14 से 18 वर्ष के आयु समूह की किशोरियां केवल देश के आकांक्षी जिलों और उत्तर पूर्व के राज्यों में (देश भर में 11 से 14 वर्ष के आयु समूह की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के पूर्ववर्ती कवरेज के स्थान पर) लाभार्थियों के तौर पर शामिल की जाएंगी।

आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इनमें पूरक पोषण के लागत मानदंडों में संशोधन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अभिसरण के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान, स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी) आदि के तहत पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हालिया बातचीत सहित समीक्षा और सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ जुड़ावा। इसके अलावा, सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश 13.01.2021 को जारी किए गए थे, जिसमें गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटीधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने और डेटा प्रबंधन और पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से निगरानी जैसे कई पहलुओं को शामिल किया गया था। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, बेहतर पोषण प्रदायगी के लिए 2 लाख चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों (40,000 आंगनवाड़ी प्रति वर्ष) को सुदृढ़, उन्नत बनाया जाएगा और कायाकल्प किया जाएगा।

अनुलग्नक I

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के संबंध में डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, डॉ. हीना गावित, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव, श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा 16.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 1659 के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण:-

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		
		एपीआईपी अनुमोदित	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	81270.60	69100.42	68577.36
2	बिहार	144152.87	127888.67	125363.59
3	छत्तीसगढ़	67220.87	48339.67	54635.36
4	गोवा	1909.88	1559.15	1701.61
5	गुजरात	71652.67	68684.12	70856.28
6	हरियाणा	26545.95	18029.66	14964.65
7	झारखंड	58230.22	43355.99	42375.41
8	कर्नाटक	98521.79	76966.72	87667.51
9	केरल	36521.12	32140.86	33120.36
10	मध्य प्रदेश	144676.41	121491.90	125330.39
11	महाराष्ट्र	129779.45	133136.17	141074.95
12	ओडिशा	104875.90	85993.04	87708.97
13	पंजाब	45564.48	20144.35	17510.59
14	राजस्थान	74974.65	58453.75	59096.39
15	तमिलनाडु	74671.97	64868.45	65280.11
16	तेलंगाना	50590.23	45841.08	42008.41
17	उत्तर प्रदेश	282896.18	236406.00	245280.88
18	पश्चिम बंगाल	138042.90	116399.75	132046
19	दिल्ली	18911.30	13293.20	12385.06
20	पुदुच्चेरी	691.13	489.43	642.63
21	हिमाचल प्रदेश	30734.10	25181.85	25242.53
22	जम्मू और कश्मीर	43489.22	31999.86	32697.65
23	उत्तराखंड	38000.14	30309.77	33475.62
24	अंडमान और निकोबार	1565.88	1190.78	1129.98
25	चंडीगढ़	1614.73	1347.93	1327.68
26	डी और नगर हवेली	643.60	573.81	561.65
27	दमन और दीव	314.54	267.58	261.47
28	लक्षद्वीप	206.06	132.51	126.98
29	अरुणाचल प्रदेश	15021.41	12430.77	13478.5
30	असम	117340.25	121893.00	122538.08
31	मणिपुर	26595.90	16157.52	14224.04
32	मेघालय	20349.60	18484.66	18081.39
33	मिजोरम	6298.44	4814.39	5639.96
34	नागालैंड	14649.56	15370.48	15080.04
35	सिक्किम	2777.88	2023.90	2555.51
36	त्रिपुरा	21465.73	16615.07	16384.61
कुल		1992767.61	1681376.26	1730432.20

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 के दौरान जारी की गई निधि (लाख रुपये)					
		एसएनपी			आईसीडीएस (सामान्य)		
		एपीआईपी अनुमोदित	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	एपीआईपी अनुमोदित	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	37473.16	37135.93	39621.07	39873.84	32145.17	35874.75
2	बिहार	85607.81	85607.81	92248.70	79313.7	41451.77	45445.88
3	छत्तीसगढ़	32790.77	24593.07	26222.62	33870.8	25841.06	26987.48
4	गोवा	881.76	858.8	823.09	1285.37	1165.27	892.91
5	गुजरात	39368.34	33671.97	50526.47	32465.82	27761.28	29690.94
6	हरियाणा	9251.15	5919.04	9630.85	16977.41	12194.63	11869.85

7	झारखंड	35190.74	26033.9	13609.62	26459.84	19750.86	19224.29
8	कर्नाटक	59944.17	41000	58445.14	40205.33	27641.75	35653.32
9	केरल	13049.61	13049.61	17111.18	23197.38	18941.99	19153.59
10	मध्य प्रदेश	76522.02	74405.7	55338.77	62419.6	47631.89	53155.97
11	महाराष्ट्र	66616.79	66330.71	86147.00	66818.56	52452.49	57438.70
12	ओडिशा	51279.05	50299.05	50434.24	44976.91	34353.21	38054.00
13	पंजाब	9060.70	4341.15	5640.37	16596.86	12687.89	14216.29
14	राजस्थान	40198.42	34894.46	36702.71	37836.08	28231.15	32069.77
15	तमिलनाडु	39852.62	39022.39	37167.33	32395.03	22048.8	26062.17
16	तेलंगाना	22487.67	21522.15	25139.46	23957.08	18408.88	21042.26
17	उत्तर प्रदेश	188948.75	139063.6	88800.15	106996.83	59495.34	83636.83
18	पश्चिम बंगाल	65848.20	65848.2	31659.56	67822.24	38757.05	58129.73
19	दिल्ली	7185.75	6539.81	7179.30	10931.52	3547.26	6331.49
20	पुदुच्चेरी	0.00	0	84.54	555.58	424.39	251.48
21	हिमाचल प्रदेश	8441.22	6919.79	7023.79	24591.84	18632.28	21153.62
22	जम्मू और कश्मीर	4682.72	4629.5	3512.05	39620.25	24272.52	37184.90
23	उत्तराखंड	14629.43	14629.43	15276.49	23445.95	17820.82	17265.85
24	अंडमान और निकोबार	406.43	406.43	406.43	1155.01	1119.01	119.01
25	चंडीगढ़	633.26	633.26	633.26	616.57	594.07	594.07
26	डी और नगर हवेली और दमन और दीव	410.11	410.11	410.11	511.68	491.43	491.43
27	लद्दाख	554.23	554.23	554.23	1694.07	1885.98	1885.98
28	लक्षद्वीप	121.31	90.99	90.99	127.78	113.44	113.44
29	अरुणाचल प्रदेश	4001.44	3708.17	3767.99	11246.92	4420.82	2632.04
30	असम	54495.86	54495.86	69759.55	63289.83	52880.27	52030.96
31	मणिपुर	8771.49	10697.3	6667.96	15507.42	6686.14	7993.14
32	मेघालय	11707.34	11648.95	11224.55	6965.8	6044.17	6175.57
33	मिजोरम	2713.59	2288.18	2288.18	3874.83	5104.16	3580.04
34	नागालैंड	8233.04	8232.9	8233.04	6921.27	6688.44	6705.38
35	सिक्किम	606.45	336.42	517.57	2169.57	2093.06	2067.21
36	त्रिपुरा	8670.68	6503.02	7261.80	11488.99	8734.45	10334.73
कुल		1010636.08	896321.89	870160.16	978183.56	682513.19	785509.07

एपीआईपी- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना
एन/आर- राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22 के दौरान (31.03.2022 तक) जारी की गई निधि (लाख रुपये)					
		एसएनपी			आईसीडीएस (सामान्य)		
		एपीआईपी अनुमोदित	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	एपीआईपी अनुमोदित	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	37135.93	38268.02	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग देय नहीं	37876.99	36192.36	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग देय नहीं
2	बिहार	85607.81	88368.99		72588.79	69074.08	
3	छत्तीसगढ़	24593.07	26771.73		33742.69	33742.69	
4	गोवा	871.86	440.88		912.01	642.68	
5	गुजरात	33671.97	50526.47		34001.50	32817.50	
6	हरियाणा	5919.04	5919.04		19394.22	11384.31	
7	झारखंड	26033.90	17595.38		25404.26	17702.39	
8	कर्नाटक	42415.51	58102.10		44842.77	42268.09	
9	केरल	13049.61	19083.19		22751.82	19714.48	
10	मध्य प्रदेश	74405.70	55338.77		58893.51	53208.14	
11	महाराष्ट्र	85709.12	105239.33		72164.88	66099.60	
12	ओडिशा	50299.05	49454.24		46388.75	44205.33	
13	पंजाब	4477.26	4530.36		36741.50	33821.32	
14	राजस्थान	34894.46	31399.25		40771.39	36865.38	
15	तमिलनाडु	39022.39	36337.10		33900.72	29201.03	
16	तेलंगाना	22029.15	24680.58		25395.92	23552.1	
17	उत्तर प्रदेश	139063.60	139063.60		105386.61	100914.99	
18	पश्चिम बंगाल	65848.20	32924.10		72710.37	33911.12	

19	दिल्ली	6539.81	7825.24		12268.14	5465.76
20	पुदुच्चेरी	0.00	0		592.03	277.80
21	हिमाचल प्रदेश	7183.83	5766.40		23548.27	19032.34
22	जम्मू और कश्मीर	4629.50	3458.83		37114.91	37114.91
23	उत्तराखंड	14629.43	15276.48		23403.02	20088.77
24	अंडमान और निकोबार	406.43	203.22		1248.96	1248.96
25	चंडीगढ़	702.83	702.83		704.95	704.95
26	डी और नगर हवेली और दमन और दीव	410.11	410.11		523.28	523.28
27	लद्दाख	133.65	277.12		1190.35	1190.35
28	लक्षद्वीप	171.30	146.33		123.88	63.90
29	अरुणाचल प्रदेश	3708.17	4725.67		12357.17	12357.17
30	असम	54495.86	69759.55		69916.46	62230.33
31	मणिपुर	9101.98	8588.77		14303.27	14303.27
32	मेघालय	11240.57	11051.14		7040.41	6281.68
33	मिजोरम	2288.18	1862.77		4096.69	3315.32
34	नागालैंड	8232.90	8232.75		7232.43	7232.43
35	सिक्किम	359.50	303.22		2312.77	2269.84
36	त्रिपुरा	7104.28	6883.37		12363.57	11789.1
	कुल	916385.96	929516.93		1014209.26	890807.7
						5

एसएनपी - पूरक पोषण कार्यक्रम

आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान (30.11.2022 तक) जारी की गई निधि (लाख रुपये)						
1	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	एसएनपी	शौचालय और पेयजल सुविधाएं	सक्षम	कुल
2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	9469.25	9283.98		525.58	19278.81
2	बिहार	18147.2	64205.86			82353.06
3	छत्तीसगढ़	25307.02	12296.54	839.81	1957.92	40401.29
4	गोवा	0	435.93			435.93
5	गुजरात	25501.13	25253.98			50755.11
6	हरियाणा	14545.67	4439.28		3.56	18988.51
7	हिमाचल प्रदेश	5887.07	1795.96			7683.03
8	जम्मू और कश्मीर	9278.73	1157.38			10436.11
9	झारखंड	0	0			0.00
10	कर्नाटक	11210.69	10603.88			21814.57
11	केरल	17063.87	9787.21			26851.08
12	मध्य प्रदेश	44170.13	18601.43			62771.56
13	महाराष्ट्र	54123.66	68567.3			122690.96
14	ओडिशा	34791.57	37724.29		2920.92	75436.78
15	पंजाब	0	2238.64			2238.64
16	राजस्थान	30578.55	26170.85		102.93	56852.33
17	तमिलनाडु	8475.18	29266.8			37741.98
18	तेलंगाना	19046.94	16521.87			35568.81
19	उत्तर प्रदेश	79039.12	104297.7		1015.8	184352.62
20	उत्तराखंड	17552.27	7314.71			24866.98
21	पश्चिम बंगाल	54533	49386.15			103919.15
	कुल	478721.05	499349.74	839.81	6526.71	985437.31
	एमएच 3602	0				0.00
22	दिल्ली	0	0			0.00
23	पुदुच्चेरी	0	0			0.00
	कुल	0	0	0	0.00	0.00
	2235	0				0.00
24	अंडमान और निकोबार	0	0			0.00
25	चंडीगढ़	352.46	351.42			703.88
26	डीएनएच एंड डीडी	116.53	102.52			219.05
27	लद्दाख	892.75	182.23			1074.98
28	लक्षद्वीप	0	42.83			42.83
	उप योग	1361.74	679	0	0.00	2040.74
	पूर्वोत्तर राज्य					0.00
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0			0.00
30	असम	52437.35	27246			79683.35
31	मणिपुर	0	0			0.00
32	मेघालय	1760.1	2810.14		68.90	4639.14
33	मिजोरम	3072.52	1144.09			4216.61
34	नागालैंड	5424.32	6174.68	136.51		11735.51
35	सिक्किम	0	0			0.00
36	त्रिपुरा	0	0			0.00
	योग	62694.29	37374.91	136.51	68.90	100274.61
	एलआईसी					0.00
	यूनीसेफ					0.00
	चंडीगढ़ को प्रतिपूर्ति					0.00
	कुल योग	542777.08	537403.65	976.32	6595.61	1087752.66

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के संबंध में डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, डॉ. हीना गावित, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव, श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा 16.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 1659 के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

30.06.22 तक स्वीकृत और कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों, एसएनपी और पीएसई लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		पूरक पोषण के लाभार्थी					प्री-स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
		स्वीकृत	कार्यशील	स्वीकृत	कार्यशील	बच्चे (6 माह से 3 वर्ष)	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह से 6 वर्ष)	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष के बच्चे और पीएंडएलएम)	लड़के (3 से 6 वर्ष)	लड़कियां (3 से 6 वर्ष)	कुल (3 से 6 वर्ष)
1	आंध्र प्रदेश	257	257	55607	55607	1575581	897735	2473316	691631	3164947	452954	444781	897735
2	अरुणाचल प्रदेश	98	98	6225	6225	70887	75322	146209	18511	164720	38048	37274	75322
3	असम	230	230	62153	61715	1504072	1716760	3220832	595935	3816767	921522	753973	1675495
4	बिहार	544	544	114718	112094	4840793	4324600	9165393	1923614	11089007	2248792	2075808	4324600
5	छत्तीसगढ़	220	220	52474	51664	1029905	915132	1945037	427884	2372921	448967	450657	899624
6	गोवा#	11	11	1262	1262	37152	22218	59370	12845	72215	0	0	0
7	गुजरात	336	336	53029	53029	1714281	1555071	3269352	673039	3942391	779735	745988	1525723
8	हरियाणा	148	148	25962	25962	657435	322499	979934	302013	1281947	161761	160738	322499
9	हिमाचल प्रदेश	78	78	18925	18925	234531	119855	354386	93117	447503	36930	36658	73588
10	झारखंड	224	224	38432	38432	1620673	1208532	2829205	712185	3541390	667285	649197	1316482
11	कर्नाटक	204	204	65911	65911	2083686	1572655	3656341	685618	4341959	795300	777355	1572655
12	केरल	258	258	33318	33115	478256	354496	832752	343864	1176616	180220	174276	354496
13	मध्य प्रदेश	453	453	97135	97135	2844488	3058399	5902887	1135127	7038014	1432176	1409211	2841387
14	महाराष्ट्र	553	553	110486	110427	3047944	3069225	6117169	1197374	7314543	1441238	1530054	2971292
15	मणिपुर	43	43	11510	11510	148886	183005	331891	55239	387130	92318	90165	182483
16	मेघालय	41	41	5896	5895	214309	252691	467000	74223	541223	115887	112637	228524
17	मिजोरम	27	27	2244	2244	54174	46860	101034	20960	121994	20218	20050	40268
18	नागालैंड	60	60	3980	3980	188212	180831	369043	41324	410367	87601	85866	173467
19	ओडिशा	338	338	74154	74154	1632449	1743629	3376078	636767	4012845	935562	908067	1843629
20	पंजाब	155	155	27314	27305	616513	282587	899100	256886	1155986	148785	139712	288497
21	राजस्थान	304	304	62010	61852	2252076	1488690	3740766	1118558	4859324	759232	729458	1488690
22	सिक्किम	13	13	1308	1308	10130	7495	17625	4268	21893	3799	3696	7495
23	तमिलनाडु	434	434	54439	54439	1907303	764421	2671724	726975	3398699	386400	374263	760663
24	तेलंगाना	149	149	35700	35700	1017581	549128	1566709	384131	1950840	270564	265992	536556
25	त्रिपुरा	56	56	10145	9931	144443	182600	327043	56218	383261	91975	90625	182600
26	उत्तर प्रदेश	897	897	190145	189430	8482468	5255516	13737984	3997398	17735382	2550878	2397644	4948522
27	उत्तराखंड	105	105	20067	20067	309717	125778	435495	141817	577312	117089	115824	232913
28	पश्चिम बंगाल#	576	576	119481	119481	3496415	3395021	6891436	1428254	8319690	0	0	0
29	ए और एन द्वीप	5	5	720	719	9489	4637	14126	2903	17029	2379	2258	4637
30	चंडीगढ़	3	3	450	450	22491	10863	33354	8762	42116	5536	5327	10863

31	दादरा और एन हवेली और दमन और दीव	4	4	409	405	15469	10990	26459	8556	35015	5567	5423	10990
32	दिल्ली	95	95	10897	10897	361944	178824	540768	130225	670993	88346	85170	173516
33	जम्मू और कश्मीर	128	128	30765	28078	293354	251557	544911	117502	662413	172468	165504	337972
34	लद्दाख	13	13	1173	1138	9139	8477	17616	3172	20788	4266	4211	8477
35	लक्षद्वीप	9	9	71	71	2819	1063	3882	1053	4935	520	543	1063
36	पुदुचेरी	5	5	855	855	26833	4528	31361	9480	40841	2300	2228	4528
योग		7074	7074	1399370	1391412	42955898	34141690	77097588	18037428	95135016	15466618	14850633	30317251

#कोविड-19 के चलते आंगनवाड़ी केंद्र प्री-स्कूल शिक्षा संचालित नहीं कर सके
